न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/184

1. कैलाश आत्मज रसूल उर्फ श्री नारायण जाति लुहार निवासी ग्राम सारसोप पोस्ट सरसोप तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।
2. शंकर आत्मज रसूल उर्फ श्री नारायण जाति लुहार निवासी ग्राम सारसोप पोस्ट सारसोप तहसील सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भूदयाल आत्मज श्री नारायण जाति लुहार निवासी ग्राम करीरी पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. शिवराज
   1/2. भंवर लाल
   1/3. राजेन्द्र
   1/4. रमेश पिसरान शम्भूदयाल जाति लुहार
   1/5. सुरजा देवी बेवा शम्भूदयाल निवासीगण करीरी पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.03 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मृतक शम्भूदयाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 5/581 रकबा 15

व खसरा संख्या 190/613 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2003 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2005 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2003 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर वादी शम्भूदयाल ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित निर्णय एंव न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण न्यायालय हाजा में गुणावगुण के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दी ।

7. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

9. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में अपील अपीलान्ट पुनः रजिस्टर की गई एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

...लान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग में ...प्त कर दिनांक 25.10.1975 को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अपीलान्ट क्रम 1 को नियमानुसार आवंटित की गई । इसी प्रकार एक अन्य भूमि आराजी खसरा नम्बर 190/613 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा अपीलान्ट क्रम 2 को आवंटन परामर्शदात्री समिति ने दिनांक 29.05.1976 को नियमानुसार आवंटित की तब से ही आवंटित भूमियों पर आवंटियों का कब्जा काश्त है उक्त भूमि आवंटियों के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमियों को आवंटन हुए 28–30 वर्ष हो चुके हैं और उक्त भूमियों पर आवंटियों का ही कब्जा काश्त है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि अपीलान्टगण के गैर खातेदारी की भूमि है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन हुआ है और उक्त आवंटन अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आवंटी अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर आवंटी अपीलान्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही उनके द्वारा कभी काश्त की गई है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है जिसे उसने अपने साक्ष्य एवं दस्तावेजों से साबित किया है। वादी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अतः वादग्रस्त आराजी का वादी रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट का नाम विलोपित किया जाकर रेस्पोडेन्ट का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्देशों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल ने तनकीवाईज निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया है । हमने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम तनकीयात का अवलोकन किया । प्रत्येक तनकी पर हम अपना निष्कर्ष पारित करते हैं :–

1. तनकी नं0 1 :– **आया वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है** :– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को आवंटित की गई है और उक्त भूमि अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादी रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष चाह रहा है जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिससे उसे किसी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में यदि पक्षकारान के पास कोई और साक्ष्य हो तो वह सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं इस हेतु हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में तनकी नं0 2 का भी निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान की साक्ष्य लेकर पारित करेंगे ।

13. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय हाजा ने स्वीकार किया है । उक्त दस्तावेजात प्रस्तुत प्रकरण में तिने

... हैं यह साक्ष्य गवाह, बयानों से साबित होंगे । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को ... न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

... उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान ... सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि लेकर प्रत्येक तनकी ... अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

... निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा